~~३०~~ ~~२३~~ २४

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5/2018 नेमीचन्द V/S चमेली	
5/10/19	वकील उभयपक्ष उप.। बहस हेतु समय चाहा। अतः पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस दिनांक 31/10/19 को पेश हो। चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
31/10/19	पत्रावली पेश हुई। आज P.O. सा. भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 14/11/19 को पेश हो।	
14/11/19	वकील उभयपक्ष उप.। बहस हेतु समय चाहा। अतः पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस दिनांक 28/11/19 को पेश हो। चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
28/11/19	पत्रावली पेश हुई। आज P.O. सा. भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 5/12/19 को पेश हो।	
5/12/19	अपीलार्थी व वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अपीलार्थी व वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगवाई गई। अन्तिम आवाज 4.00 P.M. पर लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः यह अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत न्यायालय विधिवत सूचित हो। पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	

केम्प अलवर 3/5/18
17/5/18

2018/00075

2 रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

सेवामें,

<u>न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प अलवर</u>

अपील संख्या 5 / सन 2018

1– नेमीचन्द पुत्र स्वर्गीय मनोहर लाल उम्र 72 साल जाति साहू निवासी लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज.

---- अपीलाण्ट

बनाम

1– चमेली पुत्री मनोहर लाल पत्नि वेदप्रकाश जाति साहू उम्र करीब 71 साल निवासी बी–62 मयूर विहार, दिल्ली

2– छोटी पुत्री मनोहर लाल पत्नि रतिराम जाति साहू उम्र करीब 70 साल निवासी बीवा तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह (हरि०)

3– शीला पुत्री मनोहर लाल पत्नि तेजप्रकाश जाति साहू उम्र करीब 62 साल निवासी 1923–ए गली नंबर 09 राजगढ विस्तार, दिल्ली–31

4– तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज.

---- रैस्पाडेण्टान

<u>राजस्व अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 04–04–2018 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर राज.</u> जिसके द्वारा विधि विरूद्ध व बेजा तरीक पर अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 08–10–2001 बाबत नामांतकरण संख्या

निवेदन है,
अपील
(1) पूर्ण कोर्ट फीस पर है
(2) जमा मार्फत अदालत है
(3) अन्दर मियाद है
(4) दस्तावेज पूर्ण है
(5) ... नहीं है
आदेशार्थ

1801 ग्राम लक्ष्मणगढ के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की गई — <u>बमुराद मंसूखी उपरोक्त हरदो निर्णय तहत अदालत एवं मंजूर किए जाने अपील अपीलाण्ट व दीगर दादरसी ।</u>

श्रीमान,

उज्रात अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

1— यहकि निर्णय दिनांक 04—04—2018 से यह अपील मामूलन अंदर अवधि पेश है ।

2— यहकि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर राज. के निर्णय के खिलाफ यह अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है ।

3— यहकि अपील हाजा पर नियमानुसार कोर्टफीस 2 रूपया चस्पा है तथा आलोच्य निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रस्तुत है ।

4— यहकि संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यशोदा देवी अपीलाण्ट की माता थी । जिसकी मृत्यु होने के उपरांत रैस्पाडेण्ट संख्या 1 लागायत 3 ने मृतका यशोदा देवी का इंतकाल विरासत संख्या 1801 दिनांक 08—10—2001 को अपीलाण्ट के बाला बाला एकपक्षीय तरीक पर बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये अपीलाण्ट के साथ साथ स्वयं के नाम भी स्वीकृत करा लिया । जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को होने पर अपीलाण्ट ने तहत अदालत में अपील प्रस्तुत की । लेकिन तहत अदालत